1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **निगरानी/टि0ए0/5529/2003/नागौर** **शंकरनाथ बनाम दयालनाथ**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-05-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपास्थिति :-** श्री विरेन्द्र सिंह राठौड, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष श्री गिरीश पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या-3 **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230, के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, डेगाना द्वारा दिनांक 10-10-2003 को प्रकरण संख्या 65/1998 शीर्षक दयालनाथ बनाम शंकरनाथ में पारित आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। वादी/गैर निगराकार संख्या-1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 में, प्रतिवादी-प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 2, सिविल प्रकिया संहिता को आक्षेपित निगरानीधीन आदेश से खारिज किया गया है। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गई। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत वर्तमान गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रतिवादीगण की ओर से असहमति का जबाब दावा प्रस्तुत किया गया। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रतिवादी/निगराकार का मुख्य रुप से यही जबाबदावा रहा है कि प्रश्नगत भूमि खंसरा नम्बर 142 रकबा 9 बीघा प्रारम्भ से ही महादेव जी की खातेदारी की है जिसे पुनः वापिस मंदिर के नाम दर्ज किया जाये। खतौनी सम्वत् 2000 प्रकरण में आवश्यक व सुसंगत दस्तावेज है जिसके रिकार्ड पर आने से प्रकरण में न्याय निर्णयन में मदद प्राप्त होगी। पूर्व में यह दस्तावेज हमारे आधिपत्य में नहीं था, दिनांक 30-4-2003 को यह दस्तावेज प्राप्त हुआ है अतः इस दस्तावेज को न्यायहित में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई कारण अंकित किए	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **<u>निगरानी/टि0ए0/5529/2003/नागौर</u>** **<u>शंकरनाथ बनाम दयालनाथ</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस दस्तावेज को रिकार्ड पर लेने से इन्कार कर दिया गया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि न्याय हित में निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित निगरानीधीन आदेश को अपास्त किया जाए और प्रार्थी–प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जा कर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाए। अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में निहित विवाद बिन्दु के निस्तारण के लिए यदि दस्तावेज को रिकार्ड पर लेना आवश्यक है तो इसे लिया जा सकता है। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी–गैर निगराकार द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया गया था उसमें मुख्य रुप से यही अनुतोष चाहा गया था कि खंसरा नम्बर 142 रकबा 9 बीघा में वादी के बॅट शुदा व कब्जा खातेदारी की भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार की मजाहमत मदाख्लत नहीं करें। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसके अंकित किया गया कि प्रश्नगत भूमि खंसरा नम्बर 142 रकबा 9 बीघा महादेव जी के आश्रम की डोली की है जिसे, वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी में गलत प्रकार से अंकित करवाया गया है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 2, सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत कर खतौनी सम्वत् 2000 को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया गया है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि यह दस्तावेज खसरा नम्बर 142 से ही संबंधित है जो कि प्रकरण में विवादित है। इस प्रकार खतौनी सम्वत् 2000 प्रकरण में आवश्यक व सुसंगत दस्तावेज है जिसके रिकार्ड पर आने से न्यायालय को न्याय निर्णयन में मदद प्राप्त होगी। जैसा कि स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए वाद पत्र में दोनों पक्षों के बयान हो चुके हैं और तनकियात भी कायम की जा चुकी हैं। प्रतिवादी पक्ष को यह दस्तावेज पूर्व में ही प्रस्तुत करना चाहिए था, जब कि प्रकरण में साक्ष्य व तनकियात कायम होने के उपरान्त प्रस्तुत किया गया है। किन्तु जैसा कि प्रकरण के तथ्य रहे हैं, उन्हें देखते हुये, न्याय हित में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाना उचित	

1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **<u>निगरानी/टि0ए0/5529/2003/नागौर</u>** **<u>शंकरनाथ बनाम दयालनाथ</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	समझा जाता है ताकि प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जा सके। फलतः निगरानी इस आशय के साथ स्वीकार की जाती है कि यदि प्रार्थी–प्रतिवादी द्वारा रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पॉच हजार मात्र) वादी पक्ष को बतौर हर्जाना (कास्ट) अदा कर दिये जाते हैं तो उपखण्ड अधिकारी, डेगाना द्वारा दिनांक 10–10–2003 को पारित निगरानीधीन आदेश को निरस्त किया जाता है। कास्ट अदा करने की स्थिति में विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण में प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार कर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज खतौनी सम्वत् 2000 को रिकार्ड पर लिया जाता है। निर्धारित की गई उक्त कॉस्ट राशि अदा नहीं करने की स्थिति में यह आदेश प्रभाव में नहीं रहेगा। उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 01–06–2018 को उपखण्ड अधिकारी, डेगाना के न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	